संख्या-737/2026/1883/22-2-2025-17(581)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार उर्फ पुत्तन पुत्र श्री रामनरायन, निवासी जनपद-फैजाबाद वर्तमान-अयोध्या की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-35274/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक 08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार उर्फ पुत्तन पुत्र श्री रामनरायन, जो ग्राम-सहजपुर मठिया, थाना-को0 बीकापुर, जनपद-फैजाबाद, वर्तमान-अयोध्या का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 22/23.03.2000 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती गिरजा की जलाकर हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-354/2000, धारा-498ए, 304बी, 302 आई०पी०सी० में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, कोर्ट संख्या-05, फैजाबाद के आदेश दिनांक 14.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मा० न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 04.05.2022 को बन्दी जमानत मुचलके पर कारागार से रिहा किया जा चुका है। बंदी द्वारा दिनांक 04.05.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 07 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का होने, भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के समयपूर्व जेल से रिहा होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 22/23.03.2000 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती गिरजा की जला कर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राकेश कुमार उर्फ पुत्तन पुत्र रामनरायन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार उर्फ पुत्तन (बन्दी संख्या-515/2009) पुत्र श्री रामनरायन, निवासी जनपद-फैजाबाद वर्तमान-अयोध्या की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-737/2026/1883(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-737/2026/1883/22-2-2025-17(581)/2025

दिनांकः 11 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश कुमार उर्फ पुत्तन पुत्र श्री रामनरायन, जो ग्राम-सहजपुर मठिया, थाना-को0 बीकापुर, जनपद-फैजाबाद, वर्तमान-अयोध्या का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 22/23.03.2000 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती गिरजा की जलाकर हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-354/2000, धारा-498ए, 304बी, 302 आई०पी०सी० में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, कोर्ट संख्या-05, फैजाबाद के आदेश दिनांक 14.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मा० न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 04.05.2022 को बन्दी जमानत मुचलके पर कारागार से रिहा किया जा चुका है। बंदी द्वारा दिनांक 04.05.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 07 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का होने, भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के समयपूर्व जेल से रिहा होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 22/23.03.2000 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती गिरजा की जला कर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राकेश कुमार उर्फ पुत्तन पुत्र रामनरायन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in